भारतीय खाद्य निगम FOOD CORPORATION OF INDIA

आइ.एस.ओ. 9001:2000 प्रमाणित

त्वरीत पदोन्नति योजना (एपीएस) के तहत श्रेणी-II के लिए सीमित विभागीय पदोन्नति परीक्षा (एलडीपीई) के लिए ऑनलाइन परीक्षा

(सूचना संख्या 03/2022 एफसीआई श्रेणी-II एपीएस के तहत एलडीपीई परीक्षा के संदर्भ में)

सूचना पुस्तिका

इस पुस्तिका में ऑनलाइन परीक्षा संबंधी विविध पहलुओं के ब्योरे और संबंधित विषयवस्तुओं के बारे में महत्वपूर्ण निर्देश हैं। आपको इस पुस्तिका को ध्यान से अध्ययन करने की सलाह दी जाती है क्योंकि इससे आपको परीक्षा की तैयारी करने में सहायता मिलेगी ।

इस ऑनलाइन परीक्षा में निम्नानुसार वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्प प्रश्नावलियां होंगी :

श्रेणी-II के लिए परीक्षा का स्वरूप (मैनेजर (हिन्दी) छोड़कर सभी पदों के लिए)

अनु. क्र.	प्रश्नावली का नाम	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	माध्यम	अवधि	भारिता
पेपर 1	सामान्य अभियोग्यता / सचेतता	50	50	द्विभाषी अर्थात् अंग्रेजी और हिन्दी	60 मिनट	25%
पेपर 2	भाग क	30	30		120 मिनट	15%
	भाग ख	100	100			50%
	कुल	**180**	**180**		**180 मिनट**	**90%**

परीक्षा के लिए समय 180 मिनट है; तथापि लागिंग इन, प्रवेश पत्र संग्रहण, निर्देश पढ़ना आदि के सहित आपको परीक्षा स्थल में लगभग 240 मिनट रहना पड सकता है। सभी प्रश्नावलियां अंग्रेजी व हिन्दी में उपलब्ध कराई जाएंगी। आप किसी भी प्रश्नावली के प्रश्नों का उत्तर उस प्रश्नावली के लिये आबंटित समय में दे सकते है। सभी प्रश्नों में बहुविकल्प होंगे। प्रश्न के पांच उत्तर में से केवल एक सही उत्तर होगा।

आपको सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन करना है और जिस विकल्प को आप उपयुक्त/सही समझते हैं उसे 'माउस क्लिक' करना है। आपने जिस विकल्प को क्लिक किया है वह उस प्रश्न का आपका उत्तर माना जाएगा। अगर आप गलत उत्तर देंगे तो दंड स्वरूप आपके अंकों में कटौती की जायेगी। ऐसे किसी भी प्रश्न के निर्धारित अंकों में से, जिसका आपने गलत उत्तर दिया है, दंड के रूप में एक चौथाई अंक काट लिए जायेंगे।

ऑनलाइन परीक्षा के स्कोर, निम्न प्रक्रिया को अपनाकर निकाले जाते हैं :

(i) संशोधित अंकों की गणना हेतु प्रत्येक वस्तुनिष्ठ परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या व गलत उत्तरों के लिए पेनाल्टी लगाने के आधार पर किया जाता है।

(ii) प्रत्येक प्रश्नावली एवं परीक्षा में अंतिम अंकों को दशमलव बिन्दू सहित दो अंकों तक रिपोर्ट किया जाता है।

पाठ्यक्रम

प्रबंधक(सामान्य):

पेपर – I

1. सामान्य अभिक्षमता जिसमें शामिल हैं
    - रीजनिंग, डेटा एनालिसिस, न्यूमेरिकल एबिलिटी
    - सामान्य ज्ञान, करेंट अफेयर्स
    - कृषि, कृषि अर्थव्यवस्था और कंप्यूटर जागरूकता

पेपर -II

भाग ए -

1. एफसीआई कर्मचारी विनियम, 1971 नवीनतम संशोधनों के साथ, एफसीआई का अवलोकन और शक्ति का प्रत्यायोजन (डीओपी), डिपो संचालन का अवलोकन, खाद्य निगम अधिनियम 1964, भारतीय कृषि का सामान्य ज्ञान, खाद्य सुरक्षा-बफर मानदंडों का अवलोकन, लागत पत्रक, सरकारी योजनाएं और नवीनतम विकासएनएफएसए-, पीएमजीकेवाई, ओएमएसएस, एमएसपी, एमएसपी तय करने के लिए सीएसीपी फॉर्मूला, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, फूड फोर्टिफिकेशन, डब्लूडीआरए, एफसीआई की पिछले 3 साल की वार्षिक रिपोर्टएफआर नियम आदि। -

भाग बी -

1. सीसीएस नियम, एचआरएमएस, भंडारण, अनुबंध, परिचालन, डीसीपी संचालन सहित खरीद, प्रारंभिक पैरामीटर, निरीक्षण आदि, आईआर (एल), गुणवत्ता नियंत्रण, वाणिज्यिक, भंडारण हानि और पारगमन हानि और सतर्कता सहित कर्मियों से संबंधित परिपत्र और निर्देश, जीईएम और ईप्रोक्योरमेंट पोर्टल के माध्यम से सामानों की ऑनलाइन खरीद और सेवाओं को किराए पर - लेने सहित खरीद, आईटी में डिपो ऑनलाइन सिस्टम, केंद्रीय खाद्यान्न खरीद पोर्टल सीएफपी)पी(, केंद्रीय खाद्यान्न भंडारण पोर्टल (सीएफएसपी), ईऑफिस और विधिक- एलआईएमबीएस सहित जैसी नई पहल शामिल हैं। .

2. अधिनियम जैसेअधिनियम (विनियमन और उन्मूलन) अनुबंध श्रम :, 1970, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952, ग्रेच्युटी का भुगतान अधिनियम, 1972, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, आरटीआई अधिनियम, 2005, एफएसएसएआई अधिनियम, 2006 और औद्योगिक रोजगार अधिनियम (स्थायी आदेश), 1946।

प्रबंधक :(डिपो)

पेपर – I

1. सामान्य ज्ञान जिसमें शामिल हैं
    - रीजनिंग, डेटा एनालिसिस, न्यूमेरिकल एबिलिटी
    - सामान्य ज्ञान, करेंट अफेयर्स
    - कृषि, कृषि अर्थव्यवस्था और कंप्यूटर जागरूकता

पेपर -II

भाग ए -

1. एफसीआई और एफसीआई स्टाफ विनियम, 1971 नवीनतम संशोधनों अवलोकन के साथ। डिपो संचालन का अवलोकन, खाद्य निगम अधिनियम 1964, भारतीय कृषि की सामान्य ज्ञान, खाद्य सुरक्षाबफर मानदंडों का अवलोकन-, लागत पत्रक, सरकारी योजनाएं और नवीनतम विकासएनएफएसए -, पीएमजीकेवाई, ओएमएसएस, एमएसपी, सीएसीपी फॉर्मूला एमएसपी तय करने के लिए, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, फूड फोर्टिफिकेशन, डब्लूडीआरए, पिछले 3 साल की एफसीआई की वार्षिक रिपोर्टआदि। -

भाग बी -

1. भंडारण, अनुबंध, आवाजाही, डीसीपी संचालन सहित खरीद से संबंधित परिपत्र और निर्देश, प्रारंभिक पैरामीटर, निरीक्षण आदि, आईआर (एल), गुणवत्ता नियंत्रण, वाणिज्यिक, भंडारण हानि और पारगमन हानि और सतर्कता, माल की ऑनलाइन खरीद और किराए पर लेने सहित खरीद जीईएम और ईप्रोक्योरमेंट पोर्टल-, आईटी के माध्यम से सेवाओं की नई पहल जैसे डिपो ऑनलाइन सिस्टम केंद्रीय खाद्यान्न खरीद पोर्टल (सीएफपीपी), केंद्रीय खाद्यान्न भंडारण पोर्टल (सीएफएसपी), ईऑफिस और विधिक- एलआईएमबीएस सहित जैसी नई पहल शामिल हैं।

2. अधिनियम जैसेअधिनियम (विनियमन और उन्मूलन) अनुबंध श्रम :, 1970, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952, ग्रेच्युटी का भुगतान अधिनियम, 1972, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, आरटीआई अधिनियम, 2005, एफएसएसएआई अधिनियम, 2006 और औद्योगिक रोजगार अधिनियम (स्थायी आदेश), 1946।

प्रबंधक :(लेखा)

पेपर – I

1. सामान्य योग्यता जिसमें शामिल हैं
    - रीजनिंग, डेटा एनालिसिस, न्यूमेरिकल एबिलिटी
    - सामान्य ज्ञान, करेंट अफेयर्स
    - कंप्यूटर ज्ञान

पेपर - II

भाग क -

1. एफसीआई और एफसीआई स्टाफ विनियम, 1971 नवीनतम संशोधनों अवलोकन के साथ, डिपो संचालन का अवलोकन, खाद्य निगम अधिनियम 1964, भारतीय कृषि की सामान्य ज्ञान, खाद्य सुरक्षाबफर मानदंडों का अवलोकन-, लागत पत्रक, सरकारी योजनाएं और नवीनतम विकास -एनएफएसए, पीएमजीकेवाई, ओएमएसएस, एमएसपी, सीएसीपी फॉर्मूला एमएसपी तय करने के लिए, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, फूड फोर्टिफिकेशन, डब्लूडीआरए, आईटी पहलडॉस-, केंद्रीय खाद्यान्न खरीद पोर्टल (सीएफपीपी), केंद्रीय खाद्यान्न भंडारण पोर्टल (सीएफएसपी), ईऑफिस-, एचआरएमएस, एलआईएमबीएस, डीसीपीडीसीपी मोड -गैर/ खरीद संचालन, थ्रेसहोल्ड पैरामीटर्स द्वारा निर्धारित सरकार भारत सरकार, केंद्रीय खरीद पोर्टल, एफसीआई की पिछले 3 वर्षों वार्षिक की रिपोर्ट-, जीएफआर नियम, सामानों की ऑनलाइन खरीद और जीईएम और ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल आदि के माध्यम-से सेवाओं को किराए पर लेना।

भाग ख -

1. के संबंध में निर्देश और परिपत्र

i. निगम के खातोंमूल प्रविष्टियों की पुस्तकों का रखरखाव।/

ii. आंतरिक लेखापरीक्षा नियमावलीकैग का लेखापरीक्षा कार्य लेना।/निगम/

iii. एफएपीएपी-एपीपीएस -, एआर, फिक्स्ड एसेट्स, जीएल मॉड्यूल।

iv. एफएपीकर्मचारी-पेरोल-, श्रम, पेंशन, सीपीएफ।

vबीटीएस .

vi. आयकर

vii. वस्तु एवं सेवा कर

<u>प्रबंधक (तकनीकी):</u>

<u>पेपर – ।</u>

1. सामान्य योग्यता जिसमें शामिल हैं
    - रीजनिंग, डेटा एनालिसिस, न्यूमेरिकल एबिलिटी
    - सामान्य ज्ञान, करेंट अफेयर्स
    - कृषि, कृषि अर्थव्यवस्था और कंप्यूटर ज्ञान

<u>पेपर - II</u>

<u>पार्ट - क</u>

1.भारतीय खाद्य निगम, कर्मचारी विनियम, 1971 नवीनतम संशोधनों के साथ, भारतीय खाद्य निगम का अवलोकन और शक्ति का प्रत्यायोजन)DoP)। डिपो संचालन का अवलोकन, खाद्य निगम अधिनियम 1964, भारतीय कृषि की सामान्य जागरूकता, खाद्य सुरक्षा बफर-मानदंडों का अवलोकन, लागत पत्रक, सरकारी योजनाएं और नवीनतम विकासएनएफएसए-, पीएमजीकेवाई, ओएमएसएस, एमएसपी, सीएसीपी फॉर्मूला एमएसपी तय करने के लिए, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, फूड फोर्टिफिकेशन, डब्लूडीआरए, आईटी पहलडॉस-, केंद्रीय खाद्यान्न खरीद पोर्टल (सीएफपीपी), केंद्रीय खाद्यान्न भंडारण पोर्टल (सीएफएसपी), ईऑफिस-, एचआरएमएस, एलआईएमबीएस, एफसीआई की पिछले 3 साल वार्षिक रिपोर्टजीएफआर नियम -, ऑनलाइन जीइम और ईप्रोक्योरमेंट पोर्टल आदि के माध्यम से माल की खरीद और सेवाओं को किराए पर लेना।-

<u>पार्ट - ख</u>

1. परिपत्र और निर्देश के संबंध में

    i. डिपो ऑनलाइन सिस्टम का क्यूसी मॉड्यूल
    ii. डीसीपी संचालन और थ्रेसहोल्ड पैरामीटर, भंडारण, संरक्षण और वितरण सहित खरीद।
    iii. श्रेणीकरण और वर्गीकरण करने के दौरान अनाज के नमूने और विश्लेषण के तरीके.
    iv. रोगनिरोधी और उपचारात्मक उपचार, प्रीमानसून धूमन।-
    v. खाद्यान्नों की एक समान विशिष्टताएं, विभिन्न मानकों की परिभाषा.
    vi. धान, चावल और गेहूं की स्वीकृति और अस्वीकृति प्रक्रिया.

vii. बीआरएल स्टॉक्स के लिए अपील प्रक्रिया।

viii. गुणवत्ता शिकायत प्रक्रिया।

ix. राज्य पीडीएस को स्टॉक जारी करते समय संयुक्त नमूनाकरण प्रक्रिया

x. गढ़वाले चावल की खरीद और वितरण।

xi. पौष्टिक चावल का पौष्टिकीकरण और उसके परीक्षण।

xii. डीसीपी स्टॉक का निरीक्षण दो प्रतिशत), दस प्रतिशत, पंद्रह प्रतिशत।(

xiii. खाद्यान्नों के एफएसएसएआई पैरामीटर।

xiv. विभिन्न प्रकार के भंडारण कीट और इसका जीवन चक्र और नियंत्रण तंत्र।

xv. वायु वातन की/ मिश्रण-प्रक्रिया।

xvi. पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक आदि का चावल निरीक्षण एवं अन्य अनिवार्यआवधिक निरीक्षण।/

xvii. गैरजारी करने योग्य स्टॉक का वर्गीकरण और इसके निपटान की प्रक्रिया।-

xviii. 'सी एंड डी'/उन्नयन योग्य स्टॉक का निपटान।

xix. स्टॉक जारी करने के सिद्धांत।

प्रबन्धक(परिचालन):

पेपर – I

1. सामान्य योग्यता जिसमें शामिल हैं
   - रीजनिंग, डेटा एनालिसिस, न्यूमेरिकल एबिलिटी
   - सामान्य ज्ञान, करेंट अफेयर्स
   - कंप्यूटर ज्ञान

पेपर - II

पार्ट - क

1. एफसीआई स्टाफ विनियम, 1971 नवीनतम संशोधनों के साथ और एफसीआई का अवलोकन । डिपो संचालन का अवलोकन, खाद्य निगम अधिनियम 1964, भारतीय कृषि की सामान्य ज्ञान , खाद्य सुरक्षाबफर मानदंड का - अवलोकन, लागत पत्रक, सरकारी योजनाएं और नवीनतम विकासएनएफएसए-, पीएमजीकेवाई, ओएमएसएस, एमएसपी, सीएसीपी फॉर्मूला एमएसपी तय करने के लिए, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, खाद्य सुदृढ़ीकरण, डब्लूडीआरए, आईटी पहल-डॉस, केंद्रीय खाद्यान्न खरीद पोर्टल (सीएफपीपी), केंद्रीय खाद्यान्न भंडारण पोर्टल (सीएफएसपी), ईऑफिस-, एचआरएमएस, एलआईएमबीएस, डीसीपीडीसीपी मोड खरीद संचालन-गैर/, भारत सरकार के द्वारा निर्धारित थ्रेसहोल्ड पैरामीटर्स, केंद्रीय खरीद पोर्टल, एफसीआई की पिछले 3 वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट-, जीएफआर नियम, सामानों की ऑनलाइन खरीद और जीईएम और ईप्रोक्योरमेंट पोर्टल आदि के माध्यम से सेवाओं को किराए पर लेना।-

पार्ट - ख

1. डिपो ऑनलाइन सिस्टम का मूवमेंट मॉड्यूल
2. परिपत्र और निर्देश के संबंध में

i रेलखाद्यान्न की प्राप्ति सड़क द्वारा/

ii. माल की डिलीवरी

iii. रेलसड़क द्वारा खाद्यान्नों का प्रेषण/

iv. रेलवे का दावा

v. फ्रेट ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम (एफओआईएस)

vi. ईआरडीईटीआरआर/

vii. विलंब शुल्क, घाट शुल्क के तहत, दंडात्मक शुल्क आदि।

viii. रीबुकिंगडाय/वर्सनइंटरसेप्शन/

ix. गुम और असंबद्ध वैगन

x .रेल भाड़ा

xi. साइडिंग से संबंधित प्रभार

xii. परिवहन के वैकल्पिक साधन

xiii. रेलवे की प्रशासनिक व्यवस्था।

xiv. थोक में ढुलाई

<u>प्रबंधक (इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग):</u>

<u>पेपर – I</u>

1. सामान्य योग्यता जिसमें शामिल हैं
   - रीजनिंग, डेटा एनालिसिस, न्यूमेरिकल एबिलिटी
   - सामान्य ज्ञान, करेंट अफेयर्स
   - कंप्यूटर ज्ञान

<u>पेपर – II</u>

<u>पार्ट - क</u>

1. एफसीआई स्टाफ विनियम, 1971 नवीनतम संशोधनों और एफसीआई के अवलोकन। डिपो संचालन का अवलोकन, खाद्य निगम अधिनियम 1964, भारतीय कृषि की सामान्य जागरूकता, खाद्य सुरक्षामानदंड का अवलोकन बफर-, लागत पत्रक, सरकारी योजनाएं और नवीनतम विकासएनएफएसए-, पीएमजीकेवाई, ओएमएसएस, एमएसपी, सीएसीपी फॉर्मूला एमएसपी तय करने के लिए, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, खाद्य सुदृढ़ीकरण, डब्लूडीआरए, आईटी पहलडॉस-, केंद्रीय खाद्यान्न खरीद पोर्टल (सीएफपीपी), केंद्रीय खाद्यान्न भंडारण पोर्टल (सीएफएसपी), ईऑफिस-, एचआरएमएस, एलआईएमबीएस, डीसीपीडीसीपी मोड खरीद संचालन-गैर/, भारत सरकार द्वारा निर्धारित थ्रेसहोल्ड पैरामीटर्स, केंद्रीय खरीद पोर्टल, एफसीआई की पिछले 3 वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट-, जीएफआर नियम, सामानों की ऑनलाइन खरीद और जीईएम और ईप्रोक्योरमेंट पोर्टल आदि के माध्यम से सेवाओं को किराए पर लेना।-

पार्ट - ख

1. ऊष्मप्रवैगिकी(थर्मोडायनामिक्स), हीट ट्रांसफर, रेफ्रिजरेशन एंड एयरकंडीशनिंग-, मशीनी शिद्धांत , मशीन डिज़ाइन, स्ट्रेंथ ऑफ़ मैटेरियल्स, इंजीनियरिंग मैटेरियल्स, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल मटेरियल हैंडलिंग, इलेक्ट्रिकल सर्किट, नेटवर्क थ्योरी, ईएम थ्योरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स , सामग्री विज्ञान (विद्युत सामग्री), विद्युत माप, संगणना के तत्व बिजली उपकरण और सिस्टम बिजली उत्पादन :त प्रणालीविद्यु); थर्मल, हाइड्रो, परमाणु और सौर ऊर्जा उत्पादन और प्रसारण(, इलेक्ट्रो यांत्रिकी, नियंत्रण प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार, अनुमान और लागत, कंप्यूटर का उपयोग।
2. विद्युत और यांत्रिक कार्यों के लिए सीपीडब्ल्यूडी कार्य नियमावली, दिल्ली और एसओपी दर की अनुसूची(डीएसआर)
3. सीपीडब्ल्यूडी नियमावली के अनुसार विद्युत और यांत्रिक कार्यों के लिए अनुमान तैयार करना
4. एलडब्ल्यूबी स्थापना - (साथ स्थिर और गतिमान रेलवे वेटब्रिज सहित-सड़क के साथ), संचालन और रखरखाव; इस संदर्भ में विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के प्रावधान।
5. खाद्यान्न बैगों की हैंडलिंग के लिए बैगप्रकार और उनका संचालन -स्टेकर और कन्वेयर सिस्टम-
6. साइलोजउनके प्रकार और विनिर्देश -; प्रचालन एवं रखरखाव
7. भारत सरकार की नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, से संबंधित नीतियां लक्ष्य।/दिशानिर्देश/
8. साइट ऑर्डर बुक, सीमेंट रजिस्टर, बाधा रजिस्टर, माप पुस्तकों में रिकॉर्ड प्रविष्टियां, आरए बिल, कार्यों के लिए अंतिम बिल की तैयारी, पास ऑर्डर का रिकॉर्ड आदि। इंजीनियरिंग डीओपी हेड वार, इंजीनियरिंग परिपत्र और काम करने के सामान्य नियम।
9. पीईजीपीडब्ल्यूएस की भर्ती के संबंध के प्रकार और विनिर्देश।/सिलोस/ साइलोज

प्रबंधक (सिविल इंजीनियरिंग):

पेपर – I

1. सामान्य योग्यता जिसमें शामिल हैं
    - रीजनिंग, डेटा एनालिसिस, न्यूमेरिकल एबिलिटी
    - सामान्य ज्ञान, करेंट अफेयर्स
    - कंप्यूटर ज्ञान

पेपर – II

भाग - क

1. एफसीआई स्टाफ विनियम, 1971 नवीनतम संशोधनों और एफसीआई के अवलोकन। डिपो संचालन का अवलोकन, खाद्य निगम अधिनियम 1964, भारतीय कृषि की सामान्य जागरूकता, खाद्य सुरक्षाबफर मानदंड का अवलोकन-, लागत पत्रक, सरकारी योजनाएं और नवीनतम विकासएनएफएसए-, पीएमजीकेवाई, ओएमएसएस, एमएसपी, सीएसीपी फॉर्मूला एमएसपी तय करने के लिए, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, खाद्य सुदृढ़ीकरण, डब्लूडीआरए, आईटी पहलडॉस-, केंद्रीय खाद्यान्न खरीद पोर्टल (सीएफपीपी), केंद्रीय खाद्यान्न भंडारण पोर्टल (सीएफएसपी), ईऑफिस-, एचआरएमएस, एलआईएमबीएस, डीसीपी-गैर/ डीसीपी मोड खरीद संचालन, भारत सरकार द्वारा निर्धारित थ्रेसहोल्ड पैरामीटर्स, केंद्रीय खरीद पोर्टल, एफसीआई की पिछले 3

वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट-, जीएफआर नियम, सामानों की ऑनलाइन खरीद और जीईएम और ईप्रोक्योरमेंट पोर्टल आदि के - माध्यम से सेवाओं को किराए पर लेना।

भाग - ख

1. इंजीनियरिंग सामग्री और निर्माण प्रौद्योगिकी निर्माण के लिए साइट का चयन भवनों के निर्माण हेतु : योजना और अभिविन्यास, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग, ध्वनिकी । भवन और राजमार्ग बनाने की सामग्री, पत्थर, ईंट की लकड़ी, चूना, सीमेंट मोर्टार, सादा और प्रबलित सीमेंट कंक्रीट, बिटुमेन, डामर.
2. निर्माण सामग्रीपत्थर :, कांच, चूना, प्लास्टिक, स्टील, एफआरपी, चीनी मिट्टी की चीज़ें, एल्युमिनियम, फ्लाई ऐश, बुनियादी मिश्रण, इमारती लकड़ी, ईंटें और कुल वर्गीकरण, गुण और चयन मानदंड, सीमेंट आदि।
3. निर्माण अभ्यास, योजना और प्रबंधननिर्माण योजना :, उपकरण, साइट जांच, निविदा प्रक्रिया और अनुबंध प्रबंधन, गुणवत्ता नियंत्रण, उत्पादकता, संचालन लागत; भूमि अधिग्रहण, श्रम सुरक्षा और कल्याण।
4. सर्वेक्षणसर्वेक्षण :, समतल करना, स्तरों और थियोडोलाइट का अस्थायी और स्थायी समायोजन, थियोडोलाइट का उपयोग, टैकोमेट्री, त्रिकोणमितीय और त्रिभुज सर्वेक्षण, कोंटुर और कंटूरिंग, क्षेत्रों और खंडों की गणना।
5. सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल अपडेट 2019, सीपीडब्ल्यूडी स्पेसिफिकेशन 2019, सीपीडब्ल्यूडी एसओपी और अपडेटेड संशोधन, प्लिंथ एरिया रेट्स 2021, दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट्स 2021, एनालिसिस ऑफ रेट्स 2021, ऑफिस बिल्डिंग की प्लानिंग, बेरीज फ्री एक्सेसिबिलिटी, वर्क्स पर सीपीडब्ल्यूडी का अपडेटेड सर्कुलर भी गुणवत्ता आश्वासन, संरचना के पुनर्वास आदि के रूप में।
6. गोदामों में सीसी सड़कों का डिजाइन, विस्तार और अन्य जोड़, डॉवेल आदि.
7. डीएसआरविस्तृत अनुमान और सीपीडब्ल्यूडी पीएआर पर प्रारंभिक अनुमान तैयार करना। बाजार दरों पर/
8. वर्षा जल संचयन, तूफानी जल निकासी, नाबदान कुएंपंपिंग मशीनरी व्यवस्था का विवरण/.
9. 9. गोदामों, अनुषंगी भवनों, कार्यालय भवन, गोदामों के मानक डिजाइन और ड्राइंग, एफएआर, खुले स्थान डिजाइन, गोदाम परिसर के अंदर सड़क नेटवर्क, गोदामों भवनों के प्रकार के लिए सामग्री के विनिर्देशों के लिए योजना तैयार / करना।
10. एफसीआई के इंजीनियरिंग कार्यों के लिए अनुबंध की सामान्य शर्तों और मॉडल निविदा प्रपत्र पर विस्तृत जानकारी।
11. ईनिविदा और संबंधित मुद्दे-, तकनीकी और मूल्य बोली, दरों का औचित्य आदि.
12. सीपीडब्ल्यूडी विनिर्देशों के अनुसार गोदाम और भवन निर्माण कार्यों के लिए फील्ड परीक्षण.
13. साइट ऑर्डर की बुक, सीमेंट के रजिस्टर, बाधा रजिस्टर, माप पुस्तकों में रिकॉर्ड प्रविष्टियां, आरए बिल, कार्यों के लिए अंतिम बिल की तैयारी, पास किए गए ऑर्डर का रिकॉर्ड इत्यादि। इंजीनियरिंग डीओपी हेड वार, इंजीनियरिंग परिपत्र और काम करने के सामान्य नियम.
14. सिविल इंजीनियरिंग में नवीनतम तकनीक और अवधारणा जिसे आईएफसीआई के बुनियादी ढांचे के विकास में शामिल किया जा सकता है।
15. आईएस कोड 16144, क्यूसीआई और डब्ल्यूडीआरए आवश्यकताओं और विनिर्देशों से विस्तृत जानकारी।

ऑन-लाईन परीक्षा का विवरण :

(1) परीक्षा ऑनलाइन अर्थात कंप्यूटर पर होगी ।

(2) सभी प्रश्न द्विभाषी अर्थात् अंग्रेजी व हिन्दी में होंगे ।

(3) सभी प्रश्नों में बहुविकल्प होंगे । प्रश्न के पांच उत्तर में से केवल एक सही उत्तर होगा । **उम्मीदवार के सही उत्तर चुनकर उसे उस विकल्प को 'माउसक्लिक' करना है जो सही है । क्लिक किया गया विकल्प उस प्रश्न का उत्तर माना जाएगा । किसी भी प्रश्न का उत्तर, अंकन के लिये तभी मान्य होगा जब उम्मीदवार ने उसको "Save & Next" अथवा "Mark for Review & Next" के साथ सेव किया हो ।**

(4) सर्वर पर घड़ी सेट की गई है और आपके स्क्रीन पर ऊपरी दांए कोने में काउंट डाउन टाइमर आपके लिए परीक्षा पूरी करने के लिए शेष समय दर्शाएगा। घड़ी में समय पूरा हो जाने पर परीक्षा का समय स्वतः पूरा हो जाता है आपको अपनी परीक्षा समाप्त या सबमिट नहीं करनी है ।

(5) स्क्रीन के दाहिने कोने पर प्रश्न पैलेट, प्रत्येक प्रश्न के लिए निम्न में से कोई एक स्थिति प्रकट करता है :

1 **आप अभी तक प्रश्न पर नहीं गए हैं।**

2 **आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।**

3 **आप प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं।**

4 **आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है पर प्रश्न को पुनर्विचार के लिए चिह्नित किया है।**

5 **प्रश्न जिसका उत्तर दिया गया है और समीक्षा के लिए भी चिह्नित है, उसका मूल्यांकन किया जायेगा।**

पुनर्विचार के लिए चिह्नित **(Marked for Review)** स्थिति सामान्यतः अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है जिसे आपने प्रश्न को दुबारा देखने के लिए सेट किया है । *यदि आपने किसी प्रश्न के लिए उत्तर चुना है जिसे पुनर्विचार के लिए चिह्नित किया है, तब मूल्यांकन में उस उत्तर पर विचार किया जाएगा ।*

(6) उत्तर देने के लिए प्रश्न चुनने के लिए आपको निम्नलिखित में से एक करना है :

a. उस नंबर के प्रश्न पर सीधे जाने के लिए आपके स्क्रीन के दांए तरफ स्थित प्रश्न पैलेट पर प्रश्न नंबर पर क्लिक कीजिए। नोट करें कि इस विकल्प के प्रयोग पर वर्तमान प्रश्न का आपका उत्तर **सेव नहीं होता** है ।

b. वर्तमान प्रश्न का उत्तर सेव करने के लिए और क्रम में अगले प्रश्न पर जाने के लिए **'Save & Next'** पर क्लिक कीजिए।

c. वर्तमान प्रश्न का उत्तर सेव करने, उसे रिव्यू हेतु मार्क करने और क्रम में अगले प्रश्न पर जाने के लिए **'Mark for Review & Next'** पर क्लिक कीजिए ।

(7) अपना उत्तर चुनने के लिए, एक विकल्प बटन पर क्लिक कीजिए ।

(8) अपना उत्तर बदलने के लिए दूसरा वांछित विकल्प बटन क्लिक कीजिए ।

(9) अपना उत्तर सेव करने के लिए आपको **Save & Next** पर क्लिक करना चाहिए ।

(10) चुना गया उत्तर डिसिलेक्ट करने के लिए, चुने गए विकल्प पर फिर से क्लिक कीजिए या **Clear Response बटन** पर क्लिक कीजिए ।

(11) रिव्यू के लिए प्रश्न मार्क करने के लिए **Mark for Review & Next** पर क्लिक कीजिए । यदि **Marked for Review** प्रश्न के लिए उत्तर चुना जाता है तो अंतिम मूल्यांकन में उत्तर पर विचार किया जाएगा ।

(12) किसी प्रश्न का उत्तर बदलने के लिए, पहले प्रश्न सिलेक्ट कीजिए और फिर नये उत्तर पर क्लिक कीजिए और उसके बाद **Save & Next** बटन पर क्लिक कीजिए ।

(13) **जो प्रश्न उत्तर देने के बाद 'Save' या उत्तर देने के बाद 'Mark for Review' किए गए हैं, सिर्फ उन्हीं प्रश्नों पर मूल्यांकन के लिए विचार किया जाएगा।**

(14) उम्मीदवारों से अनुरोध हैं कि "टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर" के निर्देशों का ध्यान से अनुसरण करें । यदि कोई उम्मीदवार निर्देशों/नियमों का अनुसरण नहीं करता है तो इसे कदाचार/अनुचित तरीके अपनाने का मामला माना जाएगा और उम्मीदवार को भारत सरकार टकसाल, कोलकाता द्वारा निर्णित अवधि के लिए परीक्षाओं में बैठने से वंचित कर दिया जाएगा ।

(15) उम्मीदवार केवल परीक्षा शुरू होने से पहले टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर को अपनी शंकाओं का समाधान कर सकता है । परीक्षा शुरु होने के बाद किसी भी क्वेरी (शंका) का उत्तर नहीं दिया जाएगा ।

(16) दिए गए समय की समाप्ति के बाद, उम्मीदवार ना ही किसी भी प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे और ना ही अपने उत्तर जांच पाएंगे । उम्मीदवार ने 'सबमिट' बटन क्लिक नहीं किया होगा तब भी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा उसके उत्तर स्वतः सेव कर लिए जाएंगे ।

(17) **कृपया नोट करें :-**

(a) **परीक्षा का पूर्ण समय समाप्त होने तक उम्मीदवारों को 'फाइनली सबमिट' करने नहीं दिया जाएगा ।**

(b) **एक बार परीक्षा शुरू हो जाने पर किसी भी परिस्थिति में कोई उम्मीदवार की-बोर्ड की किसी भी बटन पर क्लिक नहीं करेगा क्यों कि इससे परीक्षा लॉक हो जाएगी ।**

(ब) सामान्य निर्देश :

(1) कृपया बुलावा पत्र में तारीख, रिपोर्टिंग समय और परीक्षा स्थल का पता नोट करें ।

(2) परीक्षा स्थल की पुष्टि करने के लिए ऑनलाइन परीक्षा से एक दिन पहले आप परीक्षा स्थल जाकर देख सकते हैं ताकि परीक्षा के दिन आप समय पर रिपोर्ट कर सकें । देर से आने वालों को अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(3) आपका हाल ही का पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ चिपकाकर बुलावा पत्र अपने साथ परीक्षा स्थल पर लाया जाना चाहिए। (अच्छा होगा कि वही फोटो चिपकायें, जिसे पंजीकरण के समय अपलोड किया गया हो ।)

(4) फ्रिस्कींग (मेटल डिटेक्टरों का इस्तेमाल किया जाएगा) के दौरान समय बचाने के लिए उम्मीदवारों को निम्न ड्रेस कोड की सलाह दी जाती है:

- हल्के कपड़े, जिनका इस्तेमाल किसी भी यंत्र या संचार उपकरण को छिपाने के लिए नहीं किया जा सके
- आधी बांह वाले कपड़े लेकिन इनमें ऐसे बड़े बटन या ऐसा कोई भी बैज, ब्रोच आदि न लगा हो, जिनका इस्तेमाल संचार उपकरण, ब्लूटूथ, कैमरा आदि को छिपाने के लिए किया जा सके
- स्लिपर्स, सैंडल पहनें और जूते/मोजे न पहनें
- ज़िपर, बटन आदि जैसी धातु की वस्तु रहित हल्के वस्त्र पहनें
- हालांकि, प्रथागत/धार्मिक परिधान पहनकर आने वाले और पी.डब्लू.बी.डी. उम्मीदवारों को उचित तलाशी के लिए रिपोर्टिंग समय से पूर्व केंद्र पर रिपोर्ट करना चाहिए।

(5) परीक्षा स्थल पर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर और भारतीय खाद्य निगम प्रतिनिधि के निर्देशों का आपको निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए । आप निर्देशों का उल्लंघन करेंगे तो आपको अयोग्य ठहराया जाएगा और परीक्षा स्थल छोड़कर जाने के लिए कहा जाएगा ।

(6) इस परीक्षा में पुस्तक, नोटबुक, कैलकुलेटर, स्केल, वॉच कैलकुलेटर, पेजर, स्केल, एल्गॉरिथ्म टेबल, **मोबाइल**, स्कैनिंग उपकरण, किसी भी इलेक्ट्रोनिक गेजेट आदि का प्रयोग वर्जित है ।

(7) बुलावा-पत्र पर आप अपना फोटोग्राफ चिपका कर और वर्तमान में वैध फोटो युक्त भारतीय खाद्य निगम पहचान का मूल प्रमाण और उसकी एक फोटोकापी साथ लाएं। कृपया ध्यान दें कि बुलावा पत्र पर लिखा गया आपका नाम (जैसा आपने पंजीकरण की प्रक्रिया में दिया है) फोटो एफसीआई पहचान पत्र पर दिखते नाम के बिल्कुल अनुरूप होना चाहिए। महिला उम्मीदवार जिन्होंने शादी के पश्चात अपने पहले/अंतिम/बीच के नाम में परिवर्तन किया हो वह इस पर विशेष ध्यान दें। यदि बुलावा पत्र पर अंकित नाम और फोटो एफसीआई पहचान प्रमाण में अंतर पाया गया तो आपको परीक्षा में शामिल होने नहीं दिया जाएगा। उन उम्मीदवारों के मामले में जिन्होंने अपना नाम बदल लिया है, यदि वे मूल राजपत्रित अधिसूचना / अपना विवाह मूल प्रमाण-पत्र/मूल शपथ-पत्र प्रस्तुत करते हैं तो ही उन्हें अनुमति दी जाएगी।

(8) बायोमैट्रिक डाटा (अंगूठे का निशान) और फोटोग्राफ परीक्षा स्थल पर परीक्षा से पहले लिया जाएगा। बायोमैट्रिक डाटा सत्यापन प्राधिकारी का इस संदर्भ में (डाटा मैच करता है या नहीं करता है) निर्णय अंतिम होगा और उम्मीदवारों के लिए

बाध्यकारी होगा। **बायोमैट्रिक डाटा कैप्चर करने/सत्यापन करने की प्रक्रिया में किसी भी अवसर पर भाग लेने से इनकार करने पर उम्मीदवारी रद्द हो सकती है।** इस संदर्भ में कृपया निम्नलिखित का ध्यान रखेः

(क) यदि उंगलियों पर कोई परत हो (स्याही/मेहंदी/रंग आदि लगी हुई) तो उन्हें धोना सुनिश्चित करें ताकि परीक्षा की तिथि से पहले उन पर लगी परत उतर जाए।

(ख) यदि उंगलियां मैली या धुलभरी हों तो अंगूठे के निशान के (बायोमैट्रिक) लिए जाने से पहले उन्हें धोकर सुखा लेना सुनिश्चित करें।

(ग) सुनिश्चित कर लें कि दोनों हाथों की उंगलियां सूखी हों । यदि उंगलियां नम हों तो प्रत्येक उंगली पोंछकर उसे सुखा लें।

(घ) यदि कैप्चर किया जाने वाला अंगूठा चोटिल/क्षतिग्रस्त हो तो तुरंत परीक्षा केद्र में संबंधित प्राधिकारी को सूचित करें।

(इन बिन्दुओं में से किसी का भी पालन न करने पर परीक्षा में शामिल होने से वंचित रखा जाएगा।)

(9) सही व गलत उत्तरों के पैटर्न में समानता का पता लगाने के लिए आपके प्रत्युत्तरों का परीक्षा में सम्मिलित अन्य उम्मीदवारों के साथ विश्लेषण किया जायेगा। यदि विश्लेषण प्रक्रिया के अनुसार यह अनुमान/निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्युत्तरों की नकल की गई है और प्राप्त अंक वास्तविक/वैध नहीं है तो आपकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है और/अथवा रिज़ल्ट पर रोक लगाई जा सकती है। यदि किसी अभ्यर्थी को नकल करते हुए अथवा सहायता दिये जाते /प्राप्त करते अथवा अभ्यर्थी के ना होने जैसा व्यवहार मे संलिप्त पाया जाता है तो उसके मूल्यांकन पर विचार नहीं किया जाएगा। एफसीआई ऐसे अभ्यर्थी के विरुद्ध उचित कार्यवाही करेगी।

(10) बाल पॉइंट पेन, स्टैम्प पैड और रफ शीट परीक्षा स्थल पर उपलब्ध कराए जाएंगे । उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार का स्टेशनरी सामान जैसे पेन, पेन्सिल, इरेजर, शार्पनर, आदि को परीक्षा स्थल पर नहीं लाना है । रफ शीट प्रदान की जाएगी जिनका उपयोग रफ कार्य के लिए या अपने उत्तर सबमिट करने से पहले परीक्षण के अंत में उस प्रश्न संख्या को लिखने के लिए किया जा सकता है जिसकी आप समीक्षा करना चाहते हैं।उम्मीदवारों के लिए यह अनिवार्य है कि परीक्षा केंद्र पर दिये गए रफ शीट के प्रत्येक पृष्ठ पर अपना नाम, पंजीकरण संख्या, परीक्षार्थी क्रमांक, एवं कम्प्युटर संख्या लिखें। रफ शीट के सभी पृष्ठों को स्टेपल करें तथा लैब/स्थल से बाहर निकलते समय, पर्यवेक्षक को सौंप दे। यदि इसका पालन नहीं होता है तो आपको इस परीक्षा के लिए गैरअर्हता माना जाएगा।

(11) परीक्षा के संचालन में किसी समस्या के आने की संभावना को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता है जिसकी वजह से टेस्ट डिलिवरी और/या रिजल्ट प्रभावित हो सकता है। ऐसी स्थिति मे समस्या का समाधान करने के लिए हर संभव प्रयत्न किया जाएगा, जिसमे यदि जरुरी हुआ तो फिर से परीक्षा ली जा सकती है। इस संबंध में परीक्षा संचालन संस्था का निर्णय अंतिम रहेगा । इस तरह के परिवर्तन को स्वीकारने के लिए अनिच्छुक उम्मीदवार की उम्मीदवारी निरस्त हो जाएगी ।

(12) परीक्षा की सामग्री या उसकी किसी अन्य जानकारी, पूर्णतया या अंशतः किसी प्रकार से बोलकर या लिखित में एलेक्ट्रोनिक या यांत्रिक प्रकट करने, प्रकाशित करने, पुनः प्रस्तुत करने, ट्रांसमिट करने, स्टोर करने या उसके ट्रांसमिशन और स्टोरेज को सुगम बनाने वाले या परीक्षा कक्ष में दिए गए कागज-पत्र को ले जाने वाले या परीक्षा सामग्री को अनधिकृत रूप से रखने पर अभियोग चलाया जा सकता है।

(13) चयन के किसी भी चरण में किसी उम्मीदवार द्वारा गलत जानकारी प्रदान करने और/या प्रक्रिया के उल्लंघन का पता चलने पर उम्मीदवार को चयन प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यदि, वर्तमान चयन प्रक्रिया के दौरान ऐसे मामलों का पता नहीं चल पाता है, लेकिन बाद में पता चलता है, तो ऐसी अयोग्यता पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगी।

(14) किसी भी प्रकार की विसंगति की स्थिति में बुलावा पत्र का अंग्रेज़ी पाठ अंतिम रूप से मान्य होगा ।

(15) परीक्षा में अपने स्क्राइब का उपयोग करने वाले पात्र पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को परीक्षा स्थल पर परीक्षा के दिन विस्तृत विज्ञापन में दिए गए अनुबंध-बी के अनुसार 'स्क्राइब डिक्लेरेशन फॉर्म' जमा करना आवश्यक है।

कृपया नीचे दिए गए सामाजिक दूरी संबंधित निर्देशों को ध्यान से पढें।

सामाजिक दूरी संबंधी निर्देश

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल पर बुलावा पत्र में उल्लिखित समय अवधि के अनुसार ही रिपोर्ट करना है। देरी से आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

2. अभ्यर्थी के अनुक्रमांक व उनके बैठने की लैब संख्या परीक्षा स्थल के बाहर नहीं दर्शाई जाएगी, पर इसे प्रत्येक अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल पर प्रवेश करने के समय बता दिया जाएगा।

3. परीक्षा स्थल पर अभ्यर्थियों को अनुमत सामगी

   अभ्यर्थियों को परीक्षा स्थल पर केवल कुछ निश्चित सामान लाने की अनुमति होगी

   क. मास्क

   ख. अपना हैंड सैनिटाइजर (50 मिली)

   ग. परीक्षा संबंधी दस्तावेज (बुलावा पत्र तथा बुलावा पत्र जिसके साथ ID कार्ड की फोटोप्रति संलग्न हो, सत्यापन के लिए मूल ID कार्ड)

   घ. स्क्राइब वाले अभ्यर्थियों के मामले में - विधिवत रूप से भरा व फोटोग्राफ लगाकर हस्ताक्षर किया हुआ स्क्राइब फार्म

   परीक्षा स्थल के भीतर कोई अन्य सामग्री लाने की अनुमति नहीं है।

4. अभ्यर्थी को अपने किसी भी निजी सामान/सामग्री को किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए।

5. अभ्यर्थी को एक दूसरे से सुरक्षित सामाजिक दूरी बनाकर रखनी चाहिए।

6. अभ्यर्थी को स्थल पर दिए गए निर्देशों के अनुसार पंक्ति में खड़े होना चाहिए।

7. यदि अभ्यर्थी स्क्राइब की सुविधा का लाभ उठा रहा है तो स्क्राइब को भी अपना मास्क लाना होगा।

8. परीक्षा पूर्ण होने पर अभ्यर्थियों को परीक्षा स्थल स्टाफ द्वारा निर्देशित किए जाने के अनुरूप भीड़ लगाए बगैर व्यवस्थित तरीके से बाहर निकलना चाहिए।

आपको शुभकामनाएं